-03-

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

दाखिल खारिज रिवीजन वाद सं० – 113/2023

महेन्द्र प्रसाद महतो वगै० बनाम् राज्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
02/02/24	यह वाद अपीलार्थी 1. महेन्द्र प्रसाद महतो, पिता–स्व० जयलाल महतो, 2. राजकिशोर महतो, पिता–स्व० जेठू महतो निवासी ग्राम–गोबरदरहा, थाना–रामगढ़, जिला–रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ का न्यायालय में दायर दाखिल खारिज अपील (ऑनलाईन) वाद संख्या–14/2020–21 महेन्द्र प्रसाद महतो वगै० बनाम् अंचल अधिकारी, रामगढ़ में दिनांक–24.03.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S – 16 of Bihar Tenants Holdings (Maintenance of Records) Act-1973 के तहत् प्रारम्भ किया गया। वाद को अंगीकृत करते हुए निम्न न्यायालय का अभिलेख की माँग की गई। प्रश्नगत भूमि मौजा–गोबरदरहा, थाना सं०–86 थाना–रामगढ़ के खाता सं०–22 प्लॉट नं०–430 कुल रकवा–0.0250 ए० भूमि से संबंधित है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं, सरकारी अधिवक्ता को सुना, समर्पित आवेदन/कारण पृच्छा, निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, उनके द्वारा समर्पित आवेदन, कारण पृच्छा एवं कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–गोबरदरहा, थाना सं०–86 थाना–रामगढ़ के खाता सं०–22 प्लॉट नं०–430 कुल रकवा–0.0250 ए० भूमि सर्वे खतियान में शालिक महतो के नाम से दर्ज है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा–गोबरदरहा, थाना सं०–86 थाना–रामगढ़ के खाता सं०–22 प्लॉट नं०–430, रकवा–0.60 ए० मध्ये 2½ डी० भूमि अपीलार्थी नं०–01 के माता एवं अपीलार्थी नं०–02 के दादी कौशल्या देवी, पति जयलाल महतो के द्वारा निबंधित विक्रय पत्र संख्या–2321, दिनांक–03.07.2007 को भूमि के वास्तविक मालिक एवं दखलकार डालचरण महतो पिता स्व० होकी महतो, जाति कुर्मी से खरीद कर दखलकार हुए एवं उक्त भूमि को चाहरदिवारी से घेर कर खरीदगी के दिन से ही शांतिपूर्ण दखलकार चले आ रहे। प्रश्नगत खाता प्लॉट की भूमि सर्वे खतियान में डालचरण महतो के परदादा शालिक महतो के नाम से दर्ज है एवं जिसकी जमाबंदी रजि०–II के भोल्युम नं०–03 पेज नं०–53 में दर्ज होकर होकी महतो के नाम से कायम है।	

जयलाल महतो उक्त 2½ डी० भूमि को खरीद कर दखलकार होने के पश्चात उपयोग व उपभोग करते रहे लेकिन पारिवारिक एवं व्यवसायिक कारण वश उक्त भूमि का दाखिल खारिज नहीं करवा सके एवं कौशल्या देवी की मृत्यु दिनांक–04.04.2019 को हो गई, इनके मृत्यु पश्चात रिभीजनकर्तागण भूमि पर दखलकार हुए, तथा रिभीजनकर्तागण को इस बात की जानकारी होने पर की उक्त 2½ डी० भूमि का दाखिल खारिज नहीं हो सका है रिभीजनकर्ता द्वारा अंचल अधिकारी, रामगढ़ के यहॉ दिनांक–09.10.2020 को ऑन लाईन दाखिल खारिज हेतु आवेदन दायर किया गया, जिसका नामांतरण मुकदमा संख्या–499 R27/2020-21 रामगढ़ सदर दर्ज हुआ। राजस्व उपनिरीक्षक व अंचल निरीक्षक ने अपना प्रतिवेदन समर्पित करते हुए यह प्रतिवेदित किये कि आवेदित भूमि सर्वे खतियान के अनुसार कौम कुरमी से संबंधित है जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1) परंतुक (बी) के अंतर्गत आता है जिसे सक्षम पदाधिकारी से मंजूरी के पश्चात ही भूमि विक्रय किया जा सकता है इस संबंध में आवेदक द्वारा सक्षम पदाधिकारी से निर्गत परमिशन संबंधित कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है एवं राजस्व उपनिरीक्षक व अंचल निरीक्षक के द्वारा दाखिल खारिज के आवेदन को अस्वीकृत करने की अनुशंसा की गई।

अंचल अधिकारी, रामगढ़ द्वारा राजस्व उपनिरीक्षक व अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन को ही आधार मानते हुए, मुटेशन अधिनियम के धाराओं पर बिना विचारण किये एवं अपीलार्थी के माता/दादी द्वारा 03.07.2007 को उक्त भूमि खरीदते समय जाति–कुरमी का जमीन स्थानांतरण/विक्रय के समय समक्ष पदाधिकारी से परमिशन की आवश्यकता थी या नहीं इस बात को बगैर समझे हुए, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन से संतुष्ट होते हुए, अपीलार्थी के दाखिल खारिज आवेदन को दिनांक–07.01.2021 को निरस्त कर दिया गया। अंचल अधिकारी द्वारा निरस्त आदेश के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के यहॉ ऑनलाईन दाखिल खारिज अपील संख्या–14/2020–21 महेन्द्र प्रसाद महतो वगैरह बनाम अंचल अधिकारी, रामगढ़ दायर किये जिसपर भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा भी बिना कानूनी पहलुओं व वास्तविक तथ्यों को जाने अंचल अधिकारी के मंतव्य से संतुष्ट होते हुए उक्त भूमि पर दिनांक–03.07.2007 की छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की वास्तविक तथ्यों को जाने बिना यह मानते हुए कि उक्त प्रश्नगत भूमि खरीदते समय जाति–कुरमी की जमीन थी एवं जिसके स्थानांतरण/विक्रय के लिए सक्षम पदाधिकारी से परमिशन की आवश्यकता नहीं थी जबकि 2011 में कानूनी दृष्टिकोण से उक्त परमिशन की आवश्यकता नहीं थी फिर भी, अपीलार्थी के अपील आवेदन को दिनांक–24.03.2023 को निरस्त कर दिया। उन्होनें अनुरोध किया है कि रिभीजनकर्ता के पुनर्निरीक्षण आवेदन को स्वीकार करते हुए भूमि सुधार

उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा दाखिल खारिज अपील (ऑनलाईन) वाद संख्या–14/20–21 में दिनांक–24.03.2023 को पारित आदेश को खारिज करते हुए रिभीजनकर्ता के नाम से दाखिल खारिज करने का निदेश अंचल अधिकारी, रामगढ़ को देने की कृपा की जाय। इसके लिए रिभीजनकर्ता श्रीमान् का सदा आभारी रहेगी।

सरकारी अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान कहा कि प्रश्नगत भूमि सर्वे खतियान में शालिक महतो कौम कुरमी दर्ज है। जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1) परंतुक (बी) के अंतर्गत आता है। इसलिए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश नियमसंगत प्रतीत होता है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एवं सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य के आलोक में स्पष्ट है कि मौजा–गोबरदरहा, थाना सं०–86 थाना–रामगढ़ के खाता सं०–22 प्लॉट नं०–430 कुल रकवा–0.0250 ए० भूमि सर्वे खतियान में शालिक महतो कौम कुरमी के नाम से दर्ज है। जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1) परंतुक (बी) के अंतर्गत आता है। रिवीजनकर्ता का कहना है कि जब उक्त भूमि की खरीद बिक्री हुई थी उस वक्त कौम कुरमी को परमिशन की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन उनके द्वारा यह बताने में असफल रहे की भूमि की क्रय करने के पश्चात दाखिल खारिज क्यों नहीं करवाया गया। जबकि उक्त भूमि को क्रय दिनांक–03.07.2007 को ही किया गया है। विलंब होने का कोई तर्क संगत जवाब उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही साथ उनके द्वारा उक्त भूमिं से संबंधित किसी प्रकार का कागजात भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। उन्होंने भी स्वीकार किया गया कि अभी कौम कुरमी के लिए परमिशन की आवश्यकता है। इस प्रकार निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश नियमसंगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा दाखिल खारिज अपील (ऑनलाईन) वाद संख्या–14/2020–21 महेन्द्र प्रसाद महतो वगै० बनाम् अंचल अधिकारी, रामगढ़ में दिनांक–24.03.2023 को पारित आदेश को यथावत् रखते हुए रिवीजन आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ को वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by Chandan Kumar
Date: 2024.03.11 13:20:51 +05:30
Location: 192.168.169.197

Chandan 02/02/24
उपायुक्त,
रामगढ़।

Chandan 02/02/24
उपायुक्त,
रामगढ़।